

पत्र संख्या-भवन मरम्मत / विस्तार अग्रिम/2024-25//

335 // राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक: 03 सितम्बर, 2025

✓1-समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,

राज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2-आहरण एवं वितरण अधिकारी, (प्रशिक्षण संस्थान) राज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3-आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

विषय :- 30 प्रशासन के वित्त (आय व्यय अनुभाग) -3 संख्या-5/2025/बी-3-139/दस-2025-2(41)/77-ब्याज

दिनांक 05-08-2025 के सम्बन्ध में।

उपयुक्त विषयक जारी शासनादेश का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत/ भवन निर्माण/ क्रय / मरम्मत एवं विस्तार अग्रिमों पर अन्तिम रूप से नवीन ब्याज दरें गणना हेतु जारी की गयी है।

अतएव भविष्य में मुख्यालय को अदेयता हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों को उपरोक्तानुसार जारी नवीन ब्याज गणना के अनुसार आगणित कर सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के वेतन से कटौती करने के पश्चात ही प्रकरण मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार सिंह)

प्रभारी, अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- ज्वाइंट कमिशनर (आईटी0) राज्य कर मुख्यालय को नोटिस बोर्ड पर अपलोड किये जाने हेतु।

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।